ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न0–1, सैक्टर–के0 पी0–4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in

पत्रांकः जल/2019/2598 दिनांकः 01/07/2019

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के आवासीय, संस्थगत, औद्योगिक, व्यवसायिक, सामूहिक आवासीय (Ploted/Flated) के आवंटियों से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा जल सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सापेक्ष लिये जा रहे जलशुल्क की धनराशि को आंवटियों से वसूलने हेतु प्राधिकरण एवं आंवटी हित में प्राधिकरण की 114 वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदन करा कर एक O.T.S. (एक मुस्त समाधान) योजना लाई जा रही है, जिसमें आवंटी द्वारा निर्धारित तिथि में जलशुल्क जमा करने पर इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है तथा विवरण निम्नवत है:–

A. दिनांक 31.03.2019 तक के लम्बित देय जल मूल्य धनराशि को छूट लागू होने के प्रथम माह (दिनांक 10.07.2019 से 09.08.2019 तक) के दौरान बकाया धनराशि जमा करने पर कुल ब्याज में 40% की छूट अनुमन्य होगी।

B. दिनांक 31.03.2019 तक के लम्बित देय जल मूल्य धनराशि को छूट लागू होने के द्वितीय माह (दिनांक 10.08.2019 से 09.09.2019 तक) के दौरान बकाया धनराशि जमा करने पर कुल ब्याज में 30% की छूट अनुमन्य होगी।

C. दिनांक 31.03.2019 तक के लम्बित देय जल मूल्य धनराशि को छूट लागू होने के तृतीय माह (दिनांक 10.09.2019 से 09.10.2019 तक) के दौरान बकाया धनराशि जमा करने पर कुल ब्याज में 20% की छूट अनुमन्य होगी।

D. दिनांक 31.03.2019 तक के लम्बित देय जल मूल्य धनराशि को छूट लागू होने के चर्तुथ माह (दिनांक 10.10.2019 से 09.11.2019 तक) के दौरान बकाया धनराशि जमा करने पर कुल ब्याज में 10% की छूट अनुमन्य होगी।

E. चर्थुत माह के उपरान्त ब्याज पर छूट की यह योजना स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा तत्समय में लागू दरों के अनुसार ही वसूली की जायेगी।

F. यदि भुगतान ड्रफ्ट/पे–आर्डर द्वारा किया जाता है तो नियत तिथि तक प्राधिकरण के खाते में धनराशि क्रेडिट होन पर ही मान्य होगी।

सामान्य शर्तेः–

- बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम आहरित होना चाहिए तथा ग्रेटर नौएडा/नौएडा/दिल्ली पर देय होना चाहिए।
- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आवंटी द्वारा बैंक की शाखा में Visit कर जल मूल्य का भुगतान, वाटर बिल फार्म भर कर किया जा सकता है। बैंकों का विवरण निम्नवत है:–
  1. Canara Bank, Jagat Farm, Sector Gamma-1, Greater Noida, G.B. Nagar.
  2. Indian Bank, Jagat Farm, Sector Gamma-1, Greater Noida, G.B. Nagar.
  3. Corporation Bank, Jagat Farm, Sector Gamma-1, Greater Noida, G.B. Nagar.
  4. Panjab National Bank, Krishna Apra Plaza Comm., Belt Sector-Alpha-II Greater Noida, G.B. Nagar.
  5. Oriental Bank of Commerce (OBC), Sector-PI, Greater Noida, G.B. Nagar.
- आवंटी अपना KYA प्राधिकरण में Update कराकर ONLINE भी जल शुल्क जमा करा सकते हैं।
- निर्धारित तिथि समाप्ति उपरान्त इस योजना के लाभ हेतु किसी भी आवंटी द्वारा कोई भी वाद–विवाद नहीं किया जा सकता है तथा प्राधिकरण योजना की तिथि को बढाने तथा घटाने का अधिकार प्राधिकरण आपने पास सुरक्षित रखता है।

अतः आवंटियों से अनुरोध है कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुये निर्धारित तिथि में बकाया धनराशि भुगतान कराय जा सुनिश्चित करें।

01/7/19
(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. स्टाफ ऑफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. महाप्रबन्धक (जल) को, सूचनार्थ।
3. प्रभारी (सिस्टम) को, सूचनार्थ।
4. उप महाप्रबन्धक (वित्त) को, सूचनार्थ।
5. प्र0 वरि0 प्रबन्धक (जल) को, सूचनार्थ।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी